

प्रेस नोट दिनांक- 19.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक- 19.10.2026

थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रभावी कार्यवाही जारी।

थाना कोहड़ौर पुलिस द्वारा दो अलग-अलग प्रकरणों में शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत कुल 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्यवाही।

प्रथम प्रकरण में आबादी की भूमि पर कट्टर रखने को लेकर विवाद तथा द्वितीय प्रकरण में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों से अभद्रता एवं सड़क पर विवाद करने के मामले में कार्यवाही।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहड़ौर पुलिस द्वारा दो अलग-अलग प्रकरणों में कुल 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

प्रथम प्रकरण- ग्राम धरौली मधुपुर में आबादी की भूमि पर कट्टर रखने को लेकर विवाद में प्रथम पक्ष के मानसिंह यादव पुत्र रामकुमार यादव उम्र करीब 28 वर्ष तथा द्वितीय पक्ष के जनार्दन यादव पुत्र रामआसरे यादव उम्र करीब 32 वर्ष एवं नागेन्द्र यादव पुत्र रामआसरे यादव उम्र करीब 25 वर्ष, निवासीगण ग्राम धरौली मधुपुर, थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़, आपस में मारपीट करने पर आमादा थे। पुलिस द्वारा समझाने के बावजूद शांत न होने पर उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह मय हमराह द्वारा तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत चालानी रिपोर्ट तैयार कर माननीय न्यायालय भेजने की कार्यवाही की गई।

द्वितीय प्रकरण- कोहड़ौर-पट्टी मार्ग स्थित कटारी तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार दिनेश पुत्र लालाराम उम्र करीब 35 वर्ष एवं सूरज पुत्र विजय दास उम्र करीब 26 वर्ष, निवासीगण ग्राम सोनारी, थाना भादर, जनपद अमेठी द्वारा वाहन के कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए गए तथा पुलिस कर्मियों से अभद्रता एवं सड़क पर विवाद किया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह मय हमराह द्वारा दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत चालानी रिपोर्ट तैयार कर माननीय न्यायालय भेजने की कार्यवाही की गई।

कार्यवाही किए गए व्यक्तियों का विवरण-

प्रथम प्रकरण

- 1-मानसिंह यादव पुत्र रामकुमार यादव, उम्र करीब 28 वर्ष।
- 2-जनार्दन यादव पुत्र रामआसरे यादव, उम्र करीब 32 वर्ष।
- 3-नागेन्द्र यादव पुत्र रामआसरे यादव, उम्र करीब 25 वर्ष निवासीगण ग्राम धरौली मधुपुर, थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़।

द्वितीय प्रकरण

- 1-दिनेश पुत्र लालाराम, उम्र करीब 35 वर्ष।
- 2-सूरज पुत्र विजय दास, उम्र करीब 26 वर्ष निवासीगण ग्राम सोनारी, थाना भादर, जनपद अमेठी।

पुलिस टीम-

उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह मय हमराह का0 सबरू यादव, का0 अमित कुमार गौड़, का0 विकेश मिश्रा थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 19.10.2026

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत नहर पिपरी खालसा मोड़ से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-224/26 धारा 108 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त अजय गौड़ उर्फ टर्फ पुत्र स्व0 राम किशन गौड़ निवासी ग्राम महुली, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री विजयकान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 नन्दू यादव मय हमराह कां0 निर्दोष कुमार व कां0 अजीत सिंह द्वारा शारदीय नवरात्रि, दुर्गा प्रतिमा स्थापना पंडाल भ्रमण तथा आगामी त्योहार दशहरा व दीपावली के दृष्टिगत क्षेत्र भ्रमण एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-224/26 धारा 108 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त अजय गौड़ उर्फ टर्फ पुत्र स्व0 राम किशन गौड़ निवासी ग्राम महुली, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत नहर पिपरी खालसा मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-अजय गौड़ उर्फ टर्न पुत्र स्व० राम किशन गौड़ निवासी ग्राम महुली, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 38 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ०नि० नन्दू यादव मय हमराह कां० निर्दोष कुमार व कां० अजीत सिंह, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 19.10.2026

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 02 वर्षीय पुत्र की हत्या एवं पत्नी की आत्महत्या के मामले में नामजद अभियुक्त पति गिरफ्तार।

02 वर्षीय बालक की हत्या एवं उसकी मां की आत्महत्या के प्रकरण में थाना संग्रामगढ़ पुलिस को मिली सफलता, अभियुक्त पति गिरफ्तार।

विवेचना के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर 02 वर्षीय पुत्र की हत्या एवं पत्नी की आत्महत्या के प्रकरण में अभियुक्त पति गिरफ्तार।

घटना का विवरण: दिनांक 18.10.2026 को वादी लवकुश पटेल पुत्र शिवचरन पटेल, निवासी अन्तामऊ, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना संग्रामगढ़ पर तहरीर दी गई कि उनकी बहन नीता पटेल (उम्र करीब 30 वर्ष) एवं 02 वर्षीय भांजे ईशू की मृत्यु हो गई है। वादी की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 200/2026 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 200/2026 धारा 103(1)/108 बीएनएस में वांछित अभियुक्त सुरेश पटेल पुत्र ओंकारनाथ पटेल, निवासी ग्राम नया पुरवा लालू पट्टी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कार्यवाही एवं गिरफ्तारी: विवेचना के दौरान वादी के बयान, घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन एवं स्थानीय जानकारी से प्रकाश में आया कि अभियुक्त सुरेश पटेल द्वारा अपनी मां के पैरों में तेल लगाने को कहने पर पत्नी द्वारा मना करने को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान अभियुक्त ने आवेश में अपने 02 वर्षीय पुत्र ईशू का गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना से आहत होकर पत्नी नीता पटेल ने साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा

108 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई। दिनांक 18.10.2026 को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सुरेश पटेल को खनवारी नहर पुल से गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

सुरेश पटेल पुत्र ओंकारनाथ पटेल, निवासी ग्राम नया पुरवा लालू पट्टी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना प्रभारी श्री सिद्धार्थ सिंह मय हमराह उ0नि0 विवेक कुमार यादव, रिजर्व कांस्टेबल नर सिंह चौहान, रिजर्व कांस्टेबल अनिरुद्ध यादव, महिला कांस्टेबल पूजा यादव एवं चालक कांस्टेबल अमित सिंह, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 19.10.2026

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना सांगीपुर के उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह का0 कुलदीप पाल व रि0का0 जितेन्द्र कुमार द्वारा रात्रि गश्त/देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित वारण्टी अपराधी के दौरान माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कक्ष संख्या-20 द्वारा निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट, Old Criminal Case No. 1000315/2014, उ0प्र0 राज्य बनाम छविश्याम, सम्बन्धित मु0अ0सं0 206/2014 धारा 452/323/504/506 भादवि, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त आशीष शर्मा पुत्र छविश्याम शर्मा, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम पिचूरा, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- आशीष शर्मा पुत्र छविश्याम शर्मा, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम पिचूरा, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह का0 कुलदीप पाल व रि0का0 जितेन्द्र कुमार, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 19.10.2026

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मान्धाता के उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह का0 विनोद कुमार, रि0का0 अवनीश यादव व रि0का0 रितिक सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अपराधी के दौरान माननीय न्यायालय CIVIL JUDGE JD/F.T.C. COURT NO. 3, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी NBW केस नं0 15867/2022 से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त प्रेमचन्द्र वर्मा पुत्र शंकर लाल, उम्र करीब 48 वर्ष, निवासी ग्राम टिकरी, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- प्रेमचन्द्र वर्मा पुत्र शंकर लाल, उम्र करीब 48 वर्ष, निवासी ग्राम टिकरी, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह का0 विनोद कुमार, रि0का0 अवनीश यादव व रि0का0 रितिक सिंह, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 19.10.2026

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के दृष्टिगत 03 अभियुक्तों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए हिरासत में लिया गया तथा 01 बोलेरो वाहन को सीज किया गया-

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं के साथ अश्लील फब्तियां कसने, अश्लील बातें करने एवं छींटाकशी करने वाले 03 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कुण्डा पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए हिरासत में लिया गया, 01 बोलेरो वाहन सीज।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा के उ0नि0 मो0 युनुस मय हमराह का0 हर्षवर्धन सिंह, हे0का0 सुनील गुप्ता, म0का0 प्रिया शुक्ला, म0का0 दीपान्जली गुप्ता, रि0म0का0 प्रिया सिंह व रि0म0का0 श्वेता राय द्वारा कस्बा कुण्डा में भ्रमण/देखभाल क्षेत्र एवं मिशन शक्ति अभियान के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 397/26 धारा 296 बीएनएस से संबंधित वादी के घर की महिलाओं के साथ अश्लील फब्तियां कसने, अश्लील बातें करने एवं छींटाकशी करने के प्रकरण में मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश व्याप्त होने तथा अभियुक्तों के उत्तेजित होकर मारपीट पर आमादा होने के दृष्टिगत शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका पर 03 अभियुक्तों 1. अवध बिहारी पुत्र भगवान दीन, उम्र करीब 42 वर्ष, 2. जुगुल किशोर पुत्र भगवान दीन, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासीगण शान्तिनगर, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, मूल निवासी कसहाई, थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट एवं 3. गंगा प्रसाद पुत्र लक्ष्मी नरायन तिवारी, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी शेखपुर चौरास, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए हिरासत में लिया गया। साथ ही, एक बोलेरो वाहन को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- अवध बिहारी पुत्र भगवान दीन, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी शान्तिनगर, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, मूल निवासी कसहाई, थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट।
- 2- जुगुल किशोर पुत्र भगवान दीन, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी शान्तिनगर, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, मूल निवासी कसहाई, थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट।
- 3- गंगा प्रसाद पुत्र लक्ष्मी नरायन तिवारी, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी शेखपुर चौरास, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी/सीज वाहन-

01 अदद बोलेरो वाहन (धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज)।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मो0 युनुस मय हमराह का0 हर्षवर्धन सिंह, हे0का0 सुनील गुप्ता, म0का0 प्रिया शुक्ला, म0का0 दीपान्जली गुप्ता, रि0म0का0 प्रिया सिंह व रि0म0का0 श्वेता राय, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 19.10.2026

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम द्वारा दुर्गा पण्डाल की ओर आने-जाने वाली लड़कियों एवं महिलाओं पर छींटाकशी करने तथा अश्लील गाना गाने वाले 02 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही।

मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना कुण्डा पुलिस की कार्रवाई, दुर्गा पण्डाल में आने-जाने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं पर अश्लील टिप्पणी व छींटाकशी करने वाले 02 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने तथा अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18.10.2026 को थाना कुण्डा पुलिस द्वारा पोस्ट ऑफिस तिराहे के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निकट एक मोटरसाइकिल पर खड़े होकर दुर्गा पण्डाल की ओर से आने वाली लड़कियों एवं महिलाओं पर छींटाकशी करने, अश्लील भोजपुरी गाना गाने तथा मोबाइल नम्बर लिखी पर्ची देने वाले 02 अभियुक्तों 1. विपिन कुमार शर्मा पुत्र कंचनलाल शर्मा, निवासी ग्राम महाराजपुर, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष, 2. अभय शर्मा पुत्र रंजीत शर्मा, निवासी ग्राम पुरनेमऊ, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

घटना का विवरण: दिनांक 18.10.2026 को उ0नि0 राजकुमार यादव मय पुलिस टीम नवरात्र पर्व एवं दुर्गा प्रतिमा पूजा पण्डालों के दृष्टिगत शांति व्यवस्था ड्यूटी, एंटी रोमियो चेकिंग एवं रोकथाम अपराध हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास दोनों अभियुक्त लड़कियों एवं महिलाओं पर छींटाकशी करते हुए अश्लील भोजपुरी गाना गा रहे थे तथा मोबाइल नम्बर लिखी पर्ची उनकी ओर दे रहे थे। पुलिस टीम को देखकर

अभियुक्त भागने लगे, जिन्हें पुलिसकर्मियों द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध मु०अ०सं० 396/2026 धारा 296 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

उ०नि० राजकुमार, रि०का० विकास यादव, रि०का० आर्यन गुप्ता, म०का० प्रिया शुक्ला, म०का० दीपांजली गुप्ता, रि०म०का० प्रिया सिंह एवं रि०म०का० श्वेता राय थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़